पत्र सं0–उ0स्त0स0 / सा0प्र0(बैठक)–24 / 2015–सा0प्र0– 72

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव

पटना–15, दिनांकः..11..अक्टूबर, 2018

विषयः– **समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशाासन विभाग का पत्रांक–45, दिनांक 20.09.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सुलभ प्रासंगिक पत्र में निहित निदेश का स्मरण करना चाहेंगे। इसके माध्यम से कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड / निगम / प्राधिकार / समिति में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में निम्नांकित बीस बिन्दुओं के आलोक में अब तक प्रतिवेदन आपसे अप्राप्त हैः–

1. प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया है, का पदनाम।
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या।
3. किस योजना / परियोजना इत्यादि के लिये यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी?
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'क', 'ख', 'ग' या 'घ')।
5. क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश / पद सृजन आदेश।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नहीं?
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन / नोटिस इत्यादि की छाया प्रति (प्रत्येक पद के लिये जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय)।
8. नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता।
10. क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अर्हता रखते थे अथवा नहीं।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।
12. नियोजन हेतु नियुक्ति / नियोजन पदाधिकारी।

13. उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिये)।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।
18. प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि।
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छाया प्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।

चूँकि समिति का कार्यकाल मात्र तीन महीने के लिये विस्तारित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग, अधीनस्थ निदेशालय/बोर्ड/निगम/प्राधिकार/समिति में कार्यरत संविदा कर्मियों जिनके संबंध में आपके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी अनुशंसाओं में उनका समावेश नहीं किया गया है, उनके संबंध में उपर्युक्त बीस बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन लेकर स्थापना के वरीय प्रभारी को संलग्न तालिका अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्देश देने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 11.10.19

सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकार अंतर्गत संविदा कर्मियों से संबंधित प्रतिवेदन प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सम्मुख उपस्थित होकर समर्पित करने हेतु समय–सारणीः–

क्र0सं0	विभाग का नाम	तिथि एवं समय
1.	उद्योग विभाग	दिनांक – 11.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
2.	ऊर्जा विभाग	
3.	कृषि विभाग	
4.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	
5.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	दिनांक – 12.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
6.	खान एवं भूतत्व विभाग	
7.	गन्ना उद्योग विभाग	
8.	ग्रामीण विकास विभाग	
9.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	दिनांक – 15.10.2018 समय – 10:00 पूर्वाह्न से 10:30 (पूर्वाह्न)
10.	संसदीय कार्य विभाग	
11.	गृह विभाग	
12.	आपदा प्रबंधन विभाग	
13.	ग्रामीण कार्य विभाग	दिनांक – 15.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
14.	जल संसाधन विभाग	
15.	नगर विकास एवं आवास विभाग	
16.	निगरानी विभाग	
17.	निर्वाचन विभाग	दिनांक – 22.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
18.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	
19.	परिवहन विभाग	
20.	पंचायती राज विभाग	
21.	पर्यटन विभाग	दिनांक – 23.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
22.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	
23.	पथ निर्माण विभाग	
24.	वन एवं पर्यावरण विभाग	
25.	भवन निर्माण विभाग	दिनांक – 24.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
26.	योजना एवं विकास विभाग	
27.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
28.	लघु जल संसाधन विभाग	
29.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	दिनांक – 25.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
30.	वित्त विभाग	
31.	विधि विभाग	
32.	वाणिज्य कर विभाग	
33.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	दिनांक – 26.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
34.	शिक्षा विभाग	
35.	श्रम संसाधन विभाग	
36.	सहकारिता विभाग	
37.	सामान्य प्रशासन विभाग	दिनांक – 29.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
38.	स्वास्थ्य विभाग	
39.	समाज कल्याण विभाग	
40.	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	
41.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	दिनांक – 31.10.2018 समय – 11:00 पूर्वाह्न से 11:30 (पूर्वाह्न)
42.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
43.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	
44.	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	

Letter